



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363।

No. 363।

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2011/आषाढ़ 14, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2011/ASADHA 14, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 506(अ).—सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उप-धारा (1) तथा (2) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है :

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभण

(1) इन नियमों को सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 (संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।
 (2) ये नियम 9 जुलाई, 2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2, उप-नियम (1), और पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“पदनामित भागीदारी पहचान संख्या (डीआईएन) का अर्थ है वह पहचान संख्या जो केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को, जो किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त होना चाहता है, को उसकी पहचान के प्रयोजनार्थ आवंटित करती है तथा इसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 266क, 266ख तथा 266छ तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जारी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) शामिल है।”

3. नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“10(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त होना चाहता है, वह केन्द्र सरकार के पास सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत डीआईएन प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 के तहत प्रपत्र डीआईएन 1 में आवेदन करेगा और इस प्रकार सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त हेतु डीआईएन पर्याप्त होगा।

10(2) यदि किसी व्यक्ति के पास डीआईएन और डीआईएन दोनों हैं तो उसका डीआईएन रद्द माना जाएगा और इस प्रकार सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त हेतु डीन पर्याप्त होगा।”

10(3) प्रत्येक पदनामित भागीदार, किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार बनने के लिए और डीआईएन के लिए अपनी सहमति प्रपत्र 9 में देगा तथा एलएलपी इस प्रकार के डीआईएन की सूचना प्रपत्र 4 में रजिस्ट्रर को देगा।

10(4)(i) प्रत्येक पदनामित भागीदार जिसे इन नियमों के तहत डीआईएन आवंटित किया गया है, पूर्व में प्रपत्र 7 या डीआईएन 1 में दिए गए विवरणों में परिवर्तन की स्थिति में कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 के तहत प्रपत्र डीआईएन-4 में केन्द्र सरकार को 30 दिनों के अंदर ऐसे परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगा।

(ii) संबंधित पदनामित भागीदार उस सीमित देयता भागीदारी में, जिसमें वह पदनामित भागीदार है, ऐसे परिवर्तनों के बारे में 30 दिनों के अन्दर प्रपत्र में भरकर संगत परिवर्तनों की सूचना देगा।

4. प्रपत्र 7 एवं 10 को हटाया हुआ माना जाएगा।

[फा. सं. 2/1/2011-सीएल-V]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना दिनांक 1-4-2009 को सा.का.नि. 229(अ), द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें अंतिम संशोधन दिनांक 15-11-2010 को सा.का.नि. 914(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2011

G.S.R. 506(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009 namely :—

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Limited Liability Partnership Rules, 2009 (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from 9th July, 2011.

2. For rule 2, sub-rule (1), para (iv), following shall be substituted :—

“Designated Partnership Identification Number (DPIN) means an identification number which the Central Government may allot to any individual, intending to be appointed as designated partner of a Limited Liability Partnership for the purpose of his identification as such, and includes Directors Identification Number (DIN) issued

under Sections 266A, 266B and 266E of the Companies Act, 1956 and rules made thereunder.”

3. For rule 10, the following shall be substituted :—

“10 (1) Every individual, who is intending to be appointed as designated partner of a limited liability partnership, shall make an application electronically in Form DIN-1 under Companies (Director Identification Number) Rules, 2006 to the Central Government for obtaining DPIN under Limited Liability Partnership Act, 2008 and such DIN shall be sufficient for being appointed as designated partner under Limited Liability Partnership Act, 2008.

10(2) If a person holds both DIN and DPIN, his DPIN shall stand cancelled and DIN shall be sufficient for being appointed as Designated Partner under Limited Liability Partnership Act, 2008.”

10(3) Every designated partner, shall intimate his consent to become a designated partner to the limited liability partnership and DPIN, in Form 9 and the LLP shall intimate such DPIN to Registrar on Form 4.

10(4)(i) Every designated partner, who has been allotted DPIN under these rules, shall in the event of any change in particulars of as stated in erstwhile Form 7 or DIN-1, as the case may be, shall intimate such change(s) to the Central Government within 30 days of such change(s) in Form DIN-4 under Companies (Director Identification Number) Rules, 2006.

(ii) The concerned designated partner shall fill-in the relevant changes to the limited liability partnership(s) on which he is a designated partner within 30 days of such changes.

4. The Form 7 and 10 shall stand deleted.

[F. No. 2/1/2011-CL-V]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note :—The Principal notification was published *vide* number G.S.R. 229(E), dated the 1st April, 2009 and last amended *vide* G.S.R. 914(E), dated the 15-11-2010.